न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 1, रामपुर

दाण्डिक (प्रकीर्ण) जमानत प्रार्थना पत्र सं0–185/2026

(रजिस्ट्रेशन नं0 337/2026)

मुस्तफा पुत्र श्री मुसब्बर खाँ, निवासी जवाहर कालौनी रोधा रोड, थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर ---आवेदक–अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------विपक्षी

धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) भा0 न्याय सं0 एवं धारा 66 सी, 66 डी आई०टी० एक्ट थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर मुकदमा अपराध सं0 49/2026

<u>आदेश</u>

आवेदक–अभियुक्त **मुस्तफा** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध सं0 49/2026, धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66 सी, 66 डी आई०टी० एक्ट थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन के साथ शहजादी बेगम का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा पत्रावली एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 03.02.2026 को वादी मुकदमा वरिष्ठ उप निरीक्षक विमल किशोर व अन्य पुलिसकर्मियों को विकास भवन गेट पर चैकिंग के दौरान दूरभाष से सूचना मिली कि साइबर सैल रामपुर की टीम प्रतिविम्ब पोर्टल से प्राप्त सूचना में अपने थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियो की तलाश हेतु राधा पिक्चर हाल के पास है। उक्त सूचना पर वादी मुकदमा मय हमराहियान राधा पिक्चर हाल के पास पहुंचे तो वहाँ पर उ0नि0 श्री माजिद अली, हे0का0 228 मुकेश कुमार, का0 1840 विशाल सरोहा हाल तैनाती साइबर सेल रामपुर मौजूद मिले, जिनके द्वारा बताया गया कि प्रतिबिम्ब पोर्टल से, जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिबिम्ब पोर्टल पर मो0नं0 9079640633 संदिग्ध प्राप्त हुआ, जिसके मोबाइल की IMEI 867735065348790 है, जिसके बारे में जानकारी की गयी तो मो०नं० 9079640633 बन्द है, लेकिन IMEI 867735065348790 को रन कराया गया तो उक्त IMEI पर मो0नं0 7803981650 चलता हुआ पाया गया, जिसकी लोकेशन राधा रोड मोहल्ले की आ रही थी। मुखबिर खास ने बताया कि मुसब्बर खां के दोनों बेटे भी इसी मौहल्ले में रहते हैं, जो सदिग्ध हैं तथा कुछ दर पहले अपनी वरना कार से पुराने शुगर मिल के रास्ते पर गये थे। मुखबिर को साथ लेकर पुराना शुगर मिल के पास पहुंचे तो मुखबिर के इशारा करने पर सामने खड़ी एक सफेद रंग की कार को घेर लिया। ड्राइवर कार में लैपटाप चला रहा था, वह कार से बाहर आया, जिसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी, तो उसने अपना नाम साईम पुत्र मुसब्बर खाँ बताया, जिसके हाथ में एक अदद लैपटाप पकड़ा, चालू हालत में, एक अदद मोबाइल फोन व बायीं जेब से एक अदद डेबिट कार्ड बरामद हुआ। लैपटाप पर Apple का निशान बना था, जिसका पासवर्ड 1234 बताया गया, जिसे खोलकर चैक कराया

गया तो Safri ब्राउजर में अलग–अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से सम्बन्धित ब्राउजर हिस्ट्री मौजूद थी तथा जिसमें क्रोम डाउनलोड हिस्ट्री, वीडियो एडिटिंग के लिए बैकग्राउण्ड आदि का विवरण सर्च करना तथा ऑनलाईन शेयर मार्केटिंग व क्रिप्टो सम्बन्धित ऑनलाईन फाईनेन्सिलय चार्टिंग व एनालाईसिस प्लेटफार्म कीसर्च हिस्ट्री मौजूद थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस लैपटाप का प्रयोग क्रिप्टो एनलाईसिस व ऑनलाइन बैग्राउण्ड इमेज डाउनलोड करने के लिए किया जा रहा था। साईम से मोबाइल का पासवर्ड पूछा गया तो साईम द्वारा अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड 258025 बताया जिससे मोबाइल फोन को खोलकर को चैक किया गया तो मोबाइल में फोनपे तथा बाईनेन्स आईडी 375982884 जीमेल आईडी saimkhan807784 @ gmail.com से लिंक है, जिसमें अलग–अलग ब्लॉग चैन के USDT $667.07 मौजूद हैं। उक्त बाईनेन्स आईडी को चैक किया गया तो विगत 360 दिवस में उक्त बाईनेन्स आईडी द्वारा लगभग USDT $1332 का लेनदेन होना प्रदर्शित हो रहा है। उक्त मोबाइल की Gmail App चैक किया गया तो उक्त मोबाइल फोन में क्रमशः मेल आईडी 1.saimkhan664433@gmail.com, 2.myshopping443 @ gmail.com, 2.saimkhan807784 @ gmail.com, 3.saimpay2233 @ gmail.com, 4.myps5games6644@gmail.com, 5.myshopping6655 @ gmail. com, 6.mohityadavgpay922@gmail.com, 7.mukeshkumar 877997@gmail.com, 8.shehzadibegum8899@gmail.com, 9.shehzadibegum7788@gmail.com, 10.cinemasmkv75@gmail.Com, 11.rameshkumar076084@gmail.com, 12.saimkhanpay@gmail. com. 13.harshgadgetsmart@gmail.com, 14.msenterprises9776@gmail. com, 15.p9631353 @gmail.com, 16.mustafakhan9528097192 @ gmail.com, 17.saimkhan88997733@gmail.com, की लॉगइन डिटेल्स मौजूद थी। कार में बैठा दूसरा व्यक्ति हाथ में लेपटाप लिये हुए था, जिसने अपना नाम मुस्तफा पुत्र मुसब्बर खाँ बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहने जाकेट की बायीं जेब से एक अदद मोबाइल फोन व पहने लोवर की वायीं जेब से एक अदद मोबाइल फोन व पहने लोवर दाहिनी जेब से एक अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ बरामद हुआ। पहला मोबाइल फोन I Phone 15 Pro, IMEI 1–356737681079700, IMEI 2–356737681251440 मो0न0 6395190023 चालू हालत में था। मुस्तफा से मोबाइल का पासवर्ड पूछा गया तो मुस्तफा द्वारा अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड 369786 बताया, जिसे चैक किया गया तो मोबाइल में जीमेल आईडी 1. Mustafakhan0666000@gmail.com, 2. Haitofik696@gmail.com, 4. Budelsingh9@gmail.rora, Rohitkumar666000111 @gmai.com, 5.Khansmustafas786@gmail. com, 6.battaulavenkata@gmail. com, 7.sunitakumari66373@gmail. com, 8. nayankushwah67@gmail.com, 9.riteshptholar@gmail.com, 10.harshjhakar6997@gmail.com, 11.gadgethub636@gmail.com, 12. amielosco@gmail. Com, 13.924407824@gmail.com, 14.ramakkarjoaks@gmail.com, 15.mohdnave$73993@gmail. com, लॉगइन था तथा उक्त मोबाइल में इंस्टाग्राम आई०डी० electro_rohit लोगिन है। उक्त इन्स्ट्राग्राम आई०डी० पर मोबाइल फोन ऑनलाइन डिलीवरी करने सम्बन्धित अलग–अलग मॉडल के मोबाइल फोन / iphone, रूपये 2999/– में amazone से डिलीवरी करने के सम्बन्ध में वीडियो अपलोड की गयी हैं तथा bio में TRUSTED DEALS EASY RETURN AND

REPLACEMENT AVILABLE 100% ORIGINAL बनायी है, न ही उस आई०डी० का उसने कोई दुरूपयोग किया है। PRODUCT 2–3 DAYS DELIVERY लिखा है तथा उक्त इंस्टाग्राम आई डी का नाम ROHIT KUMAR लिखा है एवं एक व्यक्ति की प्रोफाइल फोटो अपलोड तथा उसी व्यक्ति के ही अन्य फोटो उक्त इंस्टाग्राम आई डी पर अपलोड किये गये है तथा उक्त मोबाइल में एक्सिस बैंक, योनो एसबीआई, पेटीएम, फिनो पे, ट्रस्ट वॉलेट, विटगेट वॉलट, एनएसडीएल बैंक, नवी एप, गूगलपे विजनेस, भारतपे फॉर बिजनेस, फोन पे बिजनेस, मालाबार गोल्ड, कोटक महिन्द्रा बैंक, मोबिकविक, गूगलपे, कूकोइन ऑनलाइन वित्तीय लेन–देन सम्बन्धित एप इंस्टॉल है तथा उक्त मोबाइल में अलग–अलग व्यक्तियों के पेन कार्ड, आधार कार्ड, यूपीआई स्कैनकर के स्क्रीनशाट मौजूद थे तथा उक्त मोबाइल फोन में इस्टाल ट्रस्ट वालेट को मुस्तफ़ा से लोगिन कराकर secret phrase अलग से एक कागज पर नोट कर सुरक्षित किया गया, जिससे कोई भी secret phrase को देख न सके, जिसमें करीब $10.18 USDT, मौजूद थे। मोबाइल फोन में स्टाल ह्वाट्सएप चैक किया गया तो ह्वाट्सएप न0 9528097192 का whatsapp web (macOS) में Last Active At 7.02 PM से लागइन है। बरामद दूसरा मोबाइल फोन One Plus IMEI1–867735065348792, IMEI2–867735065348784 मो0न0 7803981650 Jio, 9202325171 Jio, जो चालू हालत में था। मुस्तफा से मोबाइल का पासवर्ड पूछा गया तो उसके द्वारा अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड 000000 बताया गया, जिससे मोबाइल फोन को खोलकर को चैक किया गया तो मोबाइल में जीमेल आई डी 1. saimkhan807784@gmail.com, 2.mustafa95280khan @ gmail.com, 3. sahilkhan71037@gmail.com, 4.khansmustafas786@gmail.com, 5. budelsingh 9@gmail.com, 6.shantibaii 623@gmail.com, 7. sm3964520@ gmail.com, 8.rohitkumar666000111@gmail.com, 9. navedgandi555@gmail.com, 10.r51124718@gmail.com, 11.hisam.96949330@gmail.com, 12.instahramer@gmail.com, 13.a7mdxgm3r@gmail.com, 14.shoppingamazon 927@gmail.com, 15.mohit182102 @gmail.com, 16.ayan666000111@ gmail.com, 17.ashish1821029@gmail.com, 18.akshya1821029@ gmail.com, 18.anubhavcanara1@gmail.com, 20.r00490074@gmail.com, 21.lexify51@ gmail.com, लॉगइन है तथा उक्त मोबाइल फोन में एमाजन एप, पेटीएम बिजनेस, इंडसइंड बैंक, Indie For business "mb+ mobile banking, paytm, paytm for business, fino pay, bajaj finance, pay 1 merchant, bharatpe for business, phonepe, pnb one, axis bank, navi, uco mBanking, kbl mobile banking, trust wallet, google pay, idbi erupee, karnataka bank erupee, KBL one, idbi go mobile, utkarsh mobile, central bank of india, Multiple accounts, niyo, HDFC, grow, telegram app, Bitget wallet, Alert pay, DBS india, Indus mobile, Indie for business, jio finance, JKB mPay Delight+, तथा अन्य एप इंस्टॉल थे तथा उक्त मोबाइल में अलग–अलग व्यक्तियों के अलग–अलग बैंक खातों से लिंक यू पी आई क्यू आर कोड के फोटो काफी संख्या में डाउनलोड है, PAN–JGOPK9184A, पिता का नाम SURINDER KUMAR, Date of Birth–17/08/1986, हस्ताक्षर अंग्रेजी में रोहित कुमार लिखा है परन्तु पेन कार्ड के नाम/NAME का स्थान रिक्त है तथा उक्त पेन कार्ड पर लगा फोटो इंस्टाग्राम आई डी

electro_rohit (ROHIT KUMAR) की डी पी पर लगे फोटो से मिलान कर रहा था। उक्त पेन कार्ड के फोटो व नाम अंकित न होने से कूटरचित दिख रहा है। फोटो भी किसी अन्य व्यक्ति की लगी है। उक्त पेन कार्ड का दूसरे मोबाइल से फोटो खींचा गया। बरामद तीसरा मोबाइल फोन Phone 17 Pro, IMEI1–356584864955904, IMEI2–356584864601235 मोबाइल नम्बर 9528097192 Jio रंग नारंगी मय कवर के है कवर में एक सिम कार्ड Jio 89918700400937585869 नम्बर रखा हुआ था। मोबाइल चालू हालत में था। मुस्तफा से मोबाइल का पासवर्ड पूछा गया तो मुस्तफा के द्वारा अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड 258025 बताया, जिससे मोबाइल फोन को बोलकर को चैक किया गया तो मोबाइल में जीमेल आईडी khanmustafas786@gmail.com, laodnova2@gmail.com, g24407824 @gmail.com, sahajsahuma@ gmail. com. Narendragpay3@gmail. com, anubhavkumargpay000@gmail.com. लॉगिन थे तथा उक्त मोबाइल में paytm, olx, bharatpe for business, gpay business, amazone, Paytmfor Business, yono sbi, stain, paytm for business, phonepe for business इंस्टाल थे। मुस्तफा से बरामद एक अदद लैपटाप Pedator PH 315–54 Intel i7, Mac 08–8FC314–9C–45 का पासवर्ड पूछा गया तो उसने लैपटाप का पासवर्ड 369786 बताया। उक्त पासवर्ड को लैपटॉप में डालकर चैक किया गया तो लैपटाप में मेल आई०डी० saimkhan807784@gmail.com, लॉगइन थी तथा ब्राउज़िंग हिस्ट्री में amazone लॉगइन व iphone 17 Pro Max 256 GB, S25 ULTRA की अलग–अलग तिथि की ऑर्डर हिस्ट्री मौजूद थी तथा ट्रस्टवॉलट crome extensions में एड था। उक्त लैपटाप के डाउनलोडस में Elevenlabs Al टूल का उपयोग कर इंस्टाग्राम आईडी– electro_rohit से सेल किये गये फोन की डिलीवरी की फर्जी ऑडियो व इंस्टाग्राम आईडी– electro_rohit पर अपलोड करने हेतु तैयार किये गये फोटो मौजूद थे। Al से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर p2scert Folder में इंस्टाल था तथा उक्त लैपटाप Acer (c) drive में 89.9 gb free of 475 gb & Data (D) ड्राइव में 931 GB Free of 931 GB डेटा मौजूद था, जिसमें काफी सारी ऑडियो, वीडियो, फोटो व एप सेव हैं। वाहन कार का निरीक्षण किया गया तो कार हुण्डाई VERNA जिसकी दोनों प्लेटों पर UP15EB8613 अंकित है। कार के अन्दर तलाशी ली गयी तो कार की पिछली सीट पर तीन अदद एडाप्टर क्रमशः हुलिया Adapter कम्पनी Chicony KP2300H00411601933PF03, 11.8A मय केबल व दूसरा एडाप्टर मोबाइल चार्जर 100 Supervooc IS 13252, MODEL VCBAABN MADE IN INDIA मय लालरंग की डाटा केबल व तीसरा एडाप्टर Adapter कम्पनी Apple 96W USB–C Power Adapter model A2166 रंग सफेद मय डाटा केबल व एक अदद Ipad model A2197serial F9FZH18FMF3P रंग गोल्डन जिस पर apple का निशान बना था, जो चालू हालत में नहीं था व एक अदद पासबुक जिस पर Karnataka Bank Ltd. Name Rithesh p Tholar s/o PRAKASH THOLAR NO 296, KALIAMANE UDUPI GANGULI KUDNAPURA 576216 INDIA, Ifsc code KARB000755, MICR CODE 576052511, S.B.A/c No. 9992505069932501 व दो अदद चैक बुक क्रमशः जिन पर Chequebook, IDBI BANK, CUSTOMER ID.104291327, Account No 0242104000178167, CHEQUE NO 319811–319820 M.C.HD NAV S/ O MOHD NAEEM VILLAGE BHAGATPUR TANDA POST BHAGATPUR TANDA MORADABAD Ph 919286301891 व दूसरी चेक बुक Chequebook, Kotak

Mahindra Bank, account Number 5050317511, Cheque Series 000001 to 000025 URN 1032509114091 ROUNAK DHAKE GAUDE H.NO. 121 BUDH Bazar moradabad Road Moradabad 244001 Uttar Pradesh India, एक वर्क खाते खोलने के सम्बन्धित जिस पर DCB BANK, DHANUSH PTEL 4–68 PATEL HOUSE, GUDDE KERI GANGOLLI, UDUPI, KARNATKA 576216 INDIA PH. NO 7992532820, Account Numer 22314600023861, Customer ID 108000672 अंकित थे। पकड़े गये व्यक्तियों ने पूछताछ करने पर गलती की मांफी मांगते हुए बताया कि हम दोनों ने मिलकर अपने मोबाईल फोन व लैपटाप की मदद से इंस्टाग्राम पर फर्जी आई०डी० बनाकर, ए आई की मदद से आईफोन सस्ते दामों पर एमाजोन से डिलीवरी करने सम्बन्धित अपनी इंस्टाग्राम आई०डी० के प्रचार प्रसार व लोगों को सस्ते दामों पर मोबाइल बेचने का प्रलोभन देकर वीडियो अपलोड करते हैं तथा इंस्टाग्राम पर यदि कोई हमसे हमारी आई०डी० मांगता है तो हम दोनों भाई हमारे द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किये गये पेनकार्ड, जो हमारे मोबाइल फोन में सेव हैं, को भेजकर भरोसा दिलाते हैं तथा सस्ते दामों पर मोबाइल डिलीवरी करने के नाम पर एडवान्स में आनलाईन रूपये ले लेते है तथा हम जिन खातों व सिम कार्डों का उपयोग करते हैं, उन खातों व सिम कार्डों को लेने के लिए हम टैलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी आई०डी० बनाकर लोगों को आनलाईन काम देने के झांसे में लेकर, उनके आधार कार्ड व पेन कार्ड का फोटो लेकर आनलाईन एकाउण्ट खोलकर, बिजनेस एड्रेस रामपुर का दिखाकर बैंक खातों की किट प्राप्त कर लेते हैं तथा उनके सिम कार्ड को स्वाइप कर अथवा कुछ पैसे देकर खरीद लेते हैं तथा उनके बैंक खातों की किट व सिम कार्ड प्राप्त कर उनके नाम से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर अलग–अलग यू पी आई विजनेस एकाउण्ट व नेट बैंकिंग अपने मोबाइल फोनों व लैपटाप में लॉगइन कर लेते हैं तथा उन खातों में आनलाईन धोखाधड़ी से प्राप्त रूपयों को ट्रांसफर कराते हैं तथा उन धनराशि को, ई रूपये में बदलकर अथवा ए टी एम से कैश निकालकर क्रिप्टो (यूएसडीटी) खरीदकर अपने वाइनेन्स तथा क्रिप्टो वाइलेट में ट्रांसफर कर लेते है। फिर उन प्राप्त रूपयों से मौज मस्ती करते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस काम को करीब 4–5 महीने से कर रहे हैं। आज हम दोनों भाई अपने–अपने मोबाइल फोन व लैपटाप लेकर अपने पापा की इस कार से यहाँ पर लोगों को आनलाईन धोखाधड़ी करने के लिए, यहाँ शान्त जगह पर आये थे। साईम व मुस्तफा के द्वारा आनलाईन फ्राड करने के लिए लोगों के आधार कार्डों व पैन कार्डों का उपयोग कर कूटरचित यू पी आई बिजनेस एकाउण्ट व बिजनेस बैकिंग एप एक्टिव कर व ए आई की मदद से ऑडियो रिकॉर्डिंग व वीडियो तैयार किये गये थे व संदिग्ध मोबाइल नम्बर 7803981650 का उपयोग मुस्तफा द्वारा किया जा रहा था। अभियुक्तगण को उनके अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 17:20 बजे हिरासत व माल को कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामद माल को अभियुक्तवार प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बों में मोबाइल फोन व लेपटाप व टैव को नियमानुसार स्विच ऑफ करके, सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर ही तैयार करके माल सहित थाने लाकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। वह इण्टर तक शिक्षा प्राप्त कर, डिप्लोमा कर रहा है। उसने किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी नहीं की है न ही अपने कोई खाता में पैसा ट्रांसफर कराया है और न ही पुलिस के पास

ऐसा कोई साक्ष्य है। उसके बैंक खाते में कोई पैसा नहीं आया है। उसके पास से कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। लैपटॉप व मोबाईल उसके नहीं है। उसने कोई आई०डी० नहीं बनायी है और न ही दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसको पुलिस घर से बुलाकर ले गयी थी तथा गाड़ी भी घर से ले गयी थी और कैमरों की डिवाइस भी पुलिस ले गयी थी। उसके द्वारा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी नहीं की गयी है तथा न ही कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किये हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक–अभियुक्त ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर आनलाईन फ्राड करने के लिए लोगों के आधार कार्डों व पैन कार्डों का उपयोग कर कूटरचित यू पी आई बिजनेस एकाउण्ट व बिजनेस बैंकिंग एप एक्टिव कर व ए आई की मदद से ऑडियो रिकॉर्डिंग व वीडियो तैयार किये थे व संदिग्ध मोबाइल नम्बरों का उपयोग मुस्तफा द्वारा किया जा रहा था। अभियुक्तगण अपने मोबाईल फोन व लैपटाप की मदद से इंस्टाग्राम पर फर्जी आई०डी० बनाकर, ए आई की मदद से आई फोन सस्ते दामों पर एमाजोन से डिलीवरी करने हेतु प्रचार प्रसार करते थे, प्रलोभन देकर वीडियो अपलोड करते थे तथा इंस्टाग्राम पर यदि कोई आई०डी० मांगता था तो उनके द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किये गये पेनकार्ड भेजकर ऑनलाइन एडवान्स लेते थे। इसके अतिरिक्त फर्जी आई०डी० बनाकर लोगों को आनलाईन काम देने के झांसे में लेकर, उनके आधार कार्ड व पेन कार्ड का फोटो लेकर आनलाईन एकाउण्ट खोलकर रामपुर का पता दिखाकर, आनलाईन धोखाधड़ी से प्राप्त रूपयों का आदान–प्रदान कराते थे तथा उन धनराशि को, ई रूपये में बदलकर अथवा ए टी एम से कैश निकालकर क्रिप्टो (यूएसडीटी) खरीदकर अपने वाइनेन्स तथा क्रिप्टो वाइलेट में ट्रांसफर करने का काम करते थे। अभियुक्तगण ने समाज के लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं कूटरचना करके समाज में भय व्यक्त कर रखा है और लोग आये दिन इसका शिकार हो रहे हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह–अभियुक्त का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अतः आवेदक–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियोजन के अनुसार आवेदक–अभियुक्त के विरुद्ध, सह–अभियुक्त के साथ मिलकर, अपने मोबाईल फोनों व लैपटाप के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम पर फर्जी आई०डी० बनाकर, ए आई की मदद से आई फोन सस्ते दामों पर एमाजोन से डिलीवरी करने हेतु प्रचार प्रसार करने, लोगों को प्रलोभन देकर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने, लोगों के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड प्राप्त करके उन पर लगे फोटों को मोबाइल फोन की कूटरचित डी पी लगाने, लोगों से एडवांस रकम ऑनलाईन प्राप्त करने, फर्जी आई०डी० बनाकर लोगों को आनलाईन काम देने के झांसे में लेकर, उनके आधार कार्ड व पेन कार्ड का फोटो लेकर आनलाईन एकाउण्ट खोलकर रामपुर का पता दिखाकर, आनलाईन धोखाधड़ी से प्राप्त रूपयों का आदान–प्रदान करने, धनराशि को ई–रूपये में बदलकर अथवा ए टी एम से कैश निकालकर क्रिप्टो (यूएसडीटी) खरीदकर अपने वाइनेन्स तथा क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर करने का कथानक है। घटना वाली दिनांक को आवेदक–अभियुक्त द्वारा अपने भाई तथा सह–अभियुक्त के साथ

मिलकर, अपने पिता के नाम की गाड़ी में बैठकर ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा था। जब सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा बंद पड़ी शुगर मिल के क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया, उस समय आवेदक–अभियुक्त कार में बैठकर मोबाइल एवं लैपटॉप चलाकर उपरोक्त घटनाक्रम/आपराधिक कृत्य को कर रहा था। पुलिस ने बरामदशुदा लैपटॉप एवं मोबाइल फोन/आई फोन को, उनके पासवर्ड पूछकर चैक किया गया, तो एक मोबाइल में इंस्टाग्राम आई डी का नाम ROHIT KUMAR होना, उसमें एक व्यक्ति की प्रोफाइल फोटो अपलोड तथा उसी व्यक्ति के ही अन्य फोटो उक्त इंस्टाग्राम आई डी पर अपलोड होना पाये गये। अभियुक्त के पास से कुल तीन मोबाइल फोन व एक लैपटॉप बरामद किये गये हैं, जिनमें अनेकों बैंकों के एप्स, अनेकों ई–मेल/जीमेल आई डी मौजूद पाये गये हैं तथा अनेकों व्यक्तियों के आधार कार्ड व पैन कार्ड प्राप्त करके उनके ऑन लाइन एकाउन्ट खोलकर लेन देन किया गया था और आनलाईन फ्राड करने के लिए लोगों के आधार कार्डों व पैन कार्डों का उपयोग कर कूटरचित यू पी आई बिजनेस एकाउण्ट व बिजनेस बैकिंग एप एक्टिव कर व ए आई की मदद से ऑडियो रिकॉर्डिंग व वीडियो तैयार किये गये थे। लैपटॉप में ट्रस्टवॉलट crome extensions में एड होना, डाउनलोडस में Elevenlabs Al टूल का उपयोग कर इंस्टाग्राम आईडी– electro_rohit से विक्रय किये गये फोन की डिलीवरी की फर्जी ऑडियो व इंस्टाग्राम आईडी– electro_rohit पर अपलोड करने हेतु तैयार किये गये फोटो मौजूद थे। Al से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर p2scert Folder में इंस्टाल था। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन्स व लैपटाप की ब्राउजिंग हिस्ट्री में अनेकों आर्डर रिजर्व पाये गये। बरामदशुदा कार में कई पास बुक, चैक बुक एवं खाता खोलने के आवेदन भी मौजूद पाये गये। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस प्रकार के अपराध से भारतीय समाज में भय का माहौल बना हुआ है।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, उसके विचार से आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार आवेदक–अभियुक्त **मुस्तफा** का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 12–03–2026

(अजय कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश–न्यायालय सं0 1
रामपुर